न्यायालय सहायक कलक्टर जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 281/2017

1– मदनलाल

2– किशनलाल पुत्रगण रामचन्द्र जातियान जाट निवासीगण तरनाऊ तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादीगण

बनाम

1– रामचन्द्र पुत्र जवाराराम

2– नाथी देवी पुत्री रामचन्द्र

3– परमा देवी पुत्री रामचन्द्र जातियान जाट निवासी तरनाऊ तहसील जायल जिला नागौर।

4– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1– अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा वादीगण की ओर से।

2– अधिवक्ता श्री मुकेश बिडियासर प्रतिवादी सं. 01 से 03 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनाक : 09.08.19

वादी वादीगण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नम्बर 217 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा, खेत खसरा नं. 334 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा, खेत खसरा नं. 366 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खेत खसरा नं. 414 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, खेत खसरा नं. 437 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा नं. 439/1 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा एव खेत खसरा नं. 530 रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा, कुल रकबा 122 बीघा 14 बिस्वा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाडा सम्वत 2065 को आखातीज को कर लिया है। बंटवाडा स्कीम निम्न प्रकार है:–

1. यह है कि वादी सं. 01 मदनलाल के हक बट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नं. 334 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा पूरा खेत एवं खेत खसरा नं. 530 रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा मे से 28 बीघा 18 बिस्वा पूर्वी भाग रखा गया है।
2. वादी सं. 02 किशनलाल के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नं. 437 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा पूरा खेत एवं खेत खसरा नं. 439/1 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा पूरा खेत एवं खेत खसरा नं. 530 रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा में से 19 बीघा 13 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा रखा गया है।
3. प्रतिवादी सं. 01 रामचन्द्र के हकबंट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नं. 217 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा पूरा खेत एवं खेत खसरा नं. 414 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा पूरा खेत रखा गया है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क, ख एवं ग के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 03 की ओर से वकील श्री मुकेश बिडियासर ने राजीनामा प्रस्तुत किया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 से 03 के बीच राजीनामा एवं सहमति होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ताओं वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 से 03 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में राजीनामा एवं सहमति होने के कारण सहमति के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

1. यह है कि वादी सं. 01 मदनलाल के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नं. 334 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा पूरा खेत एवं खेत खसरा नं. 530 रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा में से 28 बीघा 18 बिस्वा पूर्वी भाग रखा गया है।
2. वादी सं. 02 किशनलाल के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नं. 437 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा पूरा खेत एवं खेत खसरा नं. 439/1 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा पूरा खेत एवं खेत खसरा नं. 530 रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा में से 19 बीघा 13 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा रखा गया है।
3. प्रतिवादी सं. 01 रामचन्द्र के हकबंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा तरनाऊ के खेत खसरा नं. 217 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा पूरा खेत एवं खेत खसरा नं. 414 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा पूरा खेत रखा गया है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर, जायल
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 9.8.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner